.MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS - Contd.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. I would like to bring to the notice of the House two statements. One statement is made by the President in his Address in the Central Hall of Parliament on the 50th Anniversary of the Constitution. It says, "Today when there is so much talk about revising the Constitution or even writing a new Constitution, we have to consider whether it is the Constitution that has failed us or whether it is we who have failed the Constitution.

That was the speech made by the President in the Central Hall of Parliament. On the same day, the Prime Minister made a speech. He said, "There is one great test for Constitution. For any system of governance, it must deliver and it must be durable. Our Constitution has stood this test. One reason it has been able to do so is that it embodies a masterly balance between the rights of the individual and the requirements of collective life, between the States and the Union, and between providing a robust structure and flexibility. Our Constitution has served the needs of both India's diversities and her innate unity. It has strengthened India's democratic traditions."

This was the speech of the Prime Minister of India marking the 50th Anniversary of the Constitution in the Central Hall of Parliament. Just a few weeks later, this Government drafts an Address for the President. The same Government and the Cabinet headed by the same Prime Minister, makes the President to come to the Central Hall with the Address and tell the nation that we feel that a review of the Constitution is necessary.

I would like to quote a speech which was delivered by the hon. Member, Shri Nariman in the M.N. Roy Memorial Lecture-2000. It is a beautiful analysis of why the Constitution review is a dangerous thing. He said, "I would humbly say to our leaders in governance: Put aside your election manifesto. Cherish the Ideals of those who framed our Constitution. Do not, I beseech you, tamper with our Constitution by undertaking an overall review. Such a venture can only lead to rising expectations, then dissatisfaction and disillusionment, followed by frustration and perhaps even ultimate disintegration."

This is the warning that Shri Nariman has given. I plead with you to please look at this issue once again and do not take a wrong step. Sir, the Government has constituted a Commission for the review of our Constitution. In what way will it be helpful to our country? The representatives of the people are running the Government. What is the necessity for the review of the Constitution? This is my first point. The statement made by the President is totally different from the statement made by the Prime Minister. Then the Address made by the President in 1998 in the Central Hall of Parliament is totally different from the Address which he delivered in 2000. The 1998 President's Address says, "A National Water Policy which will provide for effective and prompt settlement of disputes and their time-bound implementation will be evolved." This was the speech made by the President in 1998. Now the NDA Government is silent about the National Water Policy. In 1998 the President said, "The Government will set up a Committee to study the feasibility of treating all the 18 languages included in the Eighth Schedule of the Constitution as official languages." But now the Government is silent about official languages. The DMK Party is a partner of the NDA alliance. Had the DMK Government insisted on the NDA alliance, they would have included both these issues in the President's Address. In the same Address the President said, "The Government is committed to initiate an action to carve our Uttaranchal in Uttar Pradesh and Vanachal in Bihar." They said that they have referred the Bills to the concerned State Legislatures for their views. Last time also we requested the Government to give full Statehood to Pondicherry. Pondicherry is a small territory. It is very near to the State of Tamil Nadu. The Chief Ministers of Tamil Nadu and Pondicherry have met the Prime Minister and the Finance Minister regarding uniform sales tax in Pondicherry and Tamil Nadu. They want some exemption. Why isn't the DMK Government insisting the NDA Government to grant Statehood to Pondicherry?

So far as our Constitution is concerned, the Governor has got discretionary powers. But the President does not have discretionary powers. The Governor of Tamil Nadu has commuted the death sentence on Nalini. The Tamil Nadu Governor, Ms. Fathima Beevi, acting on the advice of the Council of Ministers of the State Government has commuted the death sentence on Nalini in the Rajiv Gandhi assassination case, to life sentence and refused to grant mercy to the other three accused - Murugan, Sanathan and Perarivalan. The Governor was disposing of the mercy petitions filed by the

four accused last year. The Governor had earlier rejected their mercy petitions. But when her decision was challenged in the Madras High Court by the accused saying she had failed to refer the petition to the State Council of Ministers as required by law, the High court stayed her decision. The Council of Ministers has now recommended commutation of the sentence on Nalini to life while rejecting the petition of Murugan, Santhan and Perarivalan, also sentenced to death. The Governor's order dated April 24, which was received by the jail authorities here on Tuesday, was communicated to Nalini who is in the jail." Now, the Governor has the discretionary power, under article 161 of the Constitution. In this case, the trial was conducted first in the lower Court, then, in the Appellate Court and then in the Supreme Court. The Supreme Court has passed this order. Now, my request is...*(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Sir, just one minute. After the capital punishment was given to the four accused, it was our respected, beloved, sister, Soniaji, who, herself, met the President...*(Interruptions)*

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: That is my point.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: She placed her request before the President for clemency for Nalini because she wanted that Nalini's child should not become an orphan. Based on the request made by Soniaji, -- it is a well known fact that Soniaji is the worst affected person because of the assassination of Shri Rajiv Gandhi; she showed her gesture, 'forgive and forget', met the President and requested for Presidential clemency to Nalini -- the Governor, after obtaining the consent of the Council of Ministers, passed this order...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Sundaram, have you made your point?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We have given full respect to the request of Soniaji.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Sir, my point is, the Governor has the discretionary power under article 161 Now, we have the findings of the Jain Commission. Regarding constitution of an intelligence wing to investigate the matter regarding the Chief Minister of Tamil Nadu, I would like to know...*(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: The Court had given its verdict, and the Court directed the Governor of Tamil Nadu to have consultations with the Council of Ministers...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Virumbi, please allow Mr. Thalavai Sundaram to speak.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: I am not giving any wrong information...*(Interruptions)* You are not able to understand what I am saying...*(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Whether the Governor was willing or not, she was forced to have consultation with the Council of Ministers. This is No.1. No.2 is that the decision was taken on the request of Soniaji to hon. President.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Sundaram, have you completed your speech?

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: If Mr. Virumbi is the Prime Minister, I have no objection to listen to him. If he has the right to reply, then, I am happy...*(Interruptions)*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: You are referring to the ruling party, the party to which I belong. That is why I am bound to respond to that...*(Interruptions)*

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM: Sir, another thing is, recently, there has been an announcement regarding increase in the prices of kerosene and LPG. The NDA has also announced a reduction in the subsidies for rice, wheat and kerosene. You know what the position of our country is. The poor people are using kerosene because they cannot afford gas fuel.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI SURESH PACHOURI): Mr. Thalavai Sundaram, the time allotted to your party was eight minutes; you have already taken ten minutes. Please conclude your speech.

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM) : Sir, the prices of LPG, kerosene, foodgrains and other items are now a days increasing day-by-day and it will affect the poor people. I find there is an amendment to the President's Address regarding 69 per cent reservation. It has not been mentioned in the President's Address and they are silent about it. The President's Address is only for the NDA Government. What are they

thinking? What are their views and their policies? It is not the idea of the President; it is only the policy of the Government. My last point is about Pakistan. Recently, President Clinton visited Parliament and made a very good speech regarding terrorist activities. Now, Sir, you know about the terrorist activities in Kashmir. Yesterday we received the news that 19 fishermen who were in the Pakistani jail have been released. There is a demand from the Members of Parliament, both from the Rajya Sabha and the Lok Sabha, there are letters from various political quarters as to whether they have an idea to release the Pakistani fishermen from India. There are many Indians still in the Pakistani jail. In the end, I would say, the NDA's Policy is the President's Address.

DR. A. R. KIDWAI (Delhi): Sir, we are grateful to the President for his Address to the Joint Session. But I find that there is an important omission regarding the Services. For any Government, the Services represent a very important section; in fact, the administration, the working of the Government, entirely depends on the services. That is why Part XIV of the Constitution entirely is devoted to the services and their management, their career, their security of service so that they can serve the country objectively, impartially, with integrity. That is why it was necessary that some consideration should have been given and mention should have been made about the Services. When India became free, we adopted the British model of civil services. The hallmark of the British civil service is the neutrality of the services, which is impartial, objective and characterised by its integrity. It is not aligned with any political party or any group or any shade of opinion. The members of the services are trained professionally, they are professionals specialising in general administration, police, law and order, revenue; in all aspects of services. Therefore, as professionals, they should serve the Government with competence, without any tinge of alignment with political parties, associations, groups or any individuals. This was the model adopted by our leaders when India became free. These services acquitted themselves, did well in the consolidation of our princely States, in establishing, a stable administration in the country and running the affairs well. They are committed to the Constitution, they are committed to the administrative discipline and philosophy. However, we find that during the last fifty years, there has been an erosion in the training programmes, in their career Civil Servants development, in their attitude of neutrality, objectivity and impartiality. Specially, in the States where the civil servants are transferred on the

basis of likes or dislikes, the postings sometimes depend on the basis of caste and creed considerations. Now, there is even more politicisation of the services. Members of the Civil Services are now stamped or treated as closely associated to particular views and shades of opinion, political parties and, more so, even with individuals. Now, this hampers their functioning as Civil Servants. The functions of Civil Servants are *quasi judicial* and if they are impartial in their objective they enjoy greater respect and confidence of the people. The success of a Government depends on the objectivity and this impartiality of the Services so that they can inspire the people. The more these services enjoy the confidence of the people, the greater is the success of the Government. These are very important aspects which should be respected. Gradually these are being eroded. The postings have assumed the form of musical chairs. The way even the most competent officers are shunted or sidelined or neglected because they belong to a different caste or creed and so on, has created great discontent in the services. And they do not get justice in their own Ministries and Departments. Why are there so many cases going to courts? Why is there the necessity to set up the Central and State Administrative Tribunals? This is a sign of dissatisfaction among the services. This is a sign of lack of discipline in the services. If the Ministries and the Departments are not able to do justice to their employees and they have to go to courts or tribunals, that shows the Departments are not working properly and this is not a healthy sign. The public expects to get justice from these Departments which cannot do justice to their own employees. These are some of the important considerations. Then, there is a greater confusion with the proliferation of services. When India became free, there were only 112 Secretaries to the Government. Today, there are nearly 4000 Secretaries to the Government. There was no cadre of Joint Secretaries then. I am sorry. The Secretaries are about 400 instead of 112. There was no cadre of Joint Secretaries. Today there are about 4,000 Joint Secretaries to the Government. The number of Civil Servants is more than the posts that are available. Sometimes they get corridor postings; they run up and down the corridor to get a proper post. Therefore, I feel after 50 years of our career management, we have not been successful. The way we manage the careers of such a large number of administrative services in the Department of Personnel it is not professional; it is not adding any professional content to the management of the services. That is why it is necessary that measures must be taken to maintain the quality, neutrality and impartiality of the

services and the professional competence, through rigorous training and follow-up of career so that they can advance in their career, with the increasing changes and development in the society, maintaining the same objectives. These are some of the important considerations. At this stage of development, we should give a high consideration to this because no Government can successfully perform without a good administrative service, which inspires public confidence and which enjoys the respect of the public.

Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : श्री रमा शंकर कौशिक। आपकी पार्टी के लिए इस पर केवल 16 मिनट हैं। कृपया आप संक्षेप में बोलें।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : सर, मैं दस-बारह मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): आपके पूर्व वक्ता 16 मिनट के बजाए 29 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : सर, इस बहस पर समय एक दिन बढ़ भी तो गया है। महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वेंकैया नायडु साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर कुछ संशोधन रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार के ठोस कार्यक्रमों और संकल्पबद्धता का एक दस्तावेज होता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह अभिभाषण केवल सद् इच्छाओं का पुलिंदा भर रह गया है। इसमें सब इच्छाएं तो की गई हैं लेकिन उनके लिए क्या कोई ठोस कार्यक्रम होना चाहिए, जनहित के लिए, किसानों के लिए, देश की तरक्की के लिए, हमारे मजदूरों के लिए और हमारे नौजवानों के लिए, इसमें सर्वथा इसका अभाव है। इसमें इतना ही नहीं बल्कि विरोधाभास बहुत फैला हुआ है। जहां तरक्की की बात करते हैं, जहां रोजगार सृजन की बात करते हैं वहीं रोजगार के अवसरों को छीनने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को न्यौता देते हैं।

महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले जो ध्यान आकर्षित किया है वह संविधान में संशोधन के लिए कमीशन बनाने पर है और संविधान संशोधन पर एक कमीशन बना भी दिया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात होती अगर सरकार पार्लियामेंट के माध्यम से संविधान की समीक्षा कराने का फैसला लेती और कमीशन बनाने का फैसला लेती। मेरी चिंता इस बात पर नहीं है लेकिन यह बात जरूर है कि अच्छा होता यदि संसदीय व्यवस्था में इस बात का ख्याल रखा जाता कि जब

पार्लियामेंट है और उसकी बैठक होने वाली है तो पार्लियामेंट के माध्यम से यह बात होती। लेकिन चिन्ता का ज्यादा विषय यह नहीं है कि सरकार ने समीक्षा के लिए कोई टारगेट नहीं रखा है, कोई मुद्दा नहीं बताया है। समीक्षा होती रहनी चाहिए जब भी आवश्यकता हो और अमेंडमेंट भी होने चाहिएं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन चिंता और आशंका की बात तब पैदा होती है जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री रामदास अग्रवाल जी यह विधेयक प्रस्तुत करते हैं कि संविधान में पांच सालों में चुनावों के लिए जो व्यवस्था दी हुई है उसकी गारन्टी होनी चाहिए, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। इतिहास भी इस बात को जानता है, पौराणिक कथाएं भी बताती हैं कि कब कोई व्यक्ति, कब कोई सरकार अच्छे से बुरी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सन् 1971 में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा के नाम से सम्बोधित किया था। यह खराब बात नहीं थी, बहुत अच्छी बात थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चार साल के बाद क्या हुआ? मेरा इस पर कोई कटाक्ष करने का इरादा नहीं है। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि कब कौन सी अच्छी सरकार खराब हो जाए यह इतिहास हमें बताता है । इतिहास में सबूत हैं, पौराणिक कथाओं में भी सबूत हैं कि अच्छे-अच्छे लोग बिगड़ गए और बहुत बिगड़े हुए लोग भी अच्छे हो गए । यह इतिहास हमें बताता है। आज आपकी सरकार बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं । अच्छा काम कर रहे हैं, हम जानते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह सरकार अच्छा काम करती रहेगी । पांच साल की गारंटी वाली जो बात है वह लोकतंत्र का निषेध है, लोकतंत्र की अवहेलना है, लोकतंत्र का अपमान है । इसी प्रकार की एक चिंता और आशंका तब पैदा होती है जब ध्यानी जी धर्मनिरपेक्ष का संधि-विच्छेद कर कुछ का कुछ अर्थ लगाते हैं । दुनिया जानती है, हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब आज के संदर्भ में यही है कि कोई सरकार धार्मिक रूप से या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी । उसके सामने जनता का हर व्यक्ति एक समान है । फिर उसके संधि-विच्छेद करने या आपके अर्थ लगाने से क्या होता है ? जब वे इस बात को कहते हैं कि हिंदुत्व ही लोकतंत्र की गारंटी है तो बड़ी अजीब बात लगती है । क्या हम अपने इतिहास को भूल गए हैं ? इस्लाम धर्म के चौदह सौ वर्ष, ईसाई धर्म के दो हजार वर्ष में क्या सारी गणतांत्रिक व्यवस्था थी हिंदुस्तान में । तब हिंदुत्व में गणतांत्रिक व्यवस्था क्यों नहीं स्थापित की ? बल्कि हमने यह भी देखा है कि लिच्छवी लोगों का जो गणतंत्र था उसे भी हमारे ही लोगों ने ध्वस्त किया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : किसी माननीय सदस्य के सेलुलर फोन की

घंटी बज रही है । मेरा उनसे आग्रह है कि बंद कर दें । चेयरमैन साहब की तरफ से निर्देश है कि कोई भी सेलुलर फोन लेकर यहां नहीं आए।

श्री रमा शंकर कौशिक : बाहर जमा करा दिया करिए ।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : इस बार पहली घटना हुई कि सेलुलर बज रहा था ।

श्री रमा शंकर कौशिक : यह बहुत आश्चर्य की बात लगती है और दिल में आशंका पैदा करती है जब यह कहा जाता है कि केवल हिंदुत्व ही देश में लोकतंत्र कायम रख सकता है । हमने इतिहास जाना है, पुरानी बातों से सीखा है, जाना है । ये सारी बातें इतिहास से सीखनी चाहिए और वैसे ही बोलना चाहिए । उपसभाध्यक्ष जी, आशंका तब पैदा होती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी अपने देश में एक वोट से सरकार के हारने के बाद इस ढंग से प्रचार-प्रसार करते हैं जैसे एक वोट से हारना लोकतंत्र का निषेध है, जैसे लोकतंत्र का खात्मा है । यह भी एक बात है । लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था में एक वोट का भी महत्व है और यही लोकतंत्र है । अगर हम उसे निषेध मानेंगे तो हम लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते ।

इसलिए समीक्षा के मामले में इन बातों से आशंका पैदा होती है और उससे भी बड़ी आशंका तब पैदा होती है जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नीतियों पर हम विचार करते हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नीतियों पर विचार करने का हक हमें इसलिए हासिल है कि हम इस बात का पहले भी निवेदन कर चुके हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और राजनैतिक पार्टियां जिस प्रकार से अपनी-अपनी फ्रंटियल ऑर्गनाइजेशन्स रखती हैं, वर्ग संगठन बनाती हैं, विद्यार्थियों के संगठन बनाती हैं, मजदूरों के संगठन बनाती हैं तथा और भी फ्रंटों पर काम करने के संगठन बनाती हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने विद्यार्थियों का संगठन भी बनाया है, उत्पात मचाने वालों का भी एक संगठन बनाया है जिसे बजरंग दल कहते हैं । साथ ही एक ऐसा संगठन भी बना रखा है जिसे बी.जे.पी. कहते हैं जो उनके नाम पर चुनाव लड़ती है, उनकी नीतियों पर चुनाव लड़ती है, इसीलिए ये सारी आशंकाएं पैदा होती हैं । मजे की बात यह है कि इन सारी बातों पर, जिन पर मैंने चर्चा की है भाजपा के सारे सदस्य बढ़-चढ़कर बोलते हैं वह चाहे एक वोट से हारने का मामला हो, चाहे पांच साल की गारंटी देने का मामला हो, चाहे हिंदुत्व के जरिए लोकतंत्र लाने का मामला हो । जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नीतियां यूनिटरी सिस्टम की है, फैडरल सिस्टम के खिलाफ हैं या और भी जो बातें हैं उनके हक में वे प्रचार-प्रसार करते हैं । यह आशंका की बात है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं पहलुओं पर निवेदन कर रहा हूं जो

फिलहाल अनछुए हैं । इन्हीं अनछुए पहलुओं को मैं रख रहा हूं । इसी प्रकार से मैं सरकार की नीतियों के रूप में उनके अभिभाषण में जो उदार नीति का जिक्र आया मैं उसी के बारे में अपनी बातें निवेदित कर रहा हूं । श्रीमन्, हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उन पर यह सरकार गौर नहीं कर रही है । हमारे देश में प्रति वर्ष एक करोड़ अस्सी लाख लोग नए रोजगार की तलाश वाले पैदा हो जाते हैं, जिनको रोजगार चाहिए । श्रीमन्, इन एक करोड़ अस्सी लाख में वे लोग भी शामिल हैं जो सरकार की उदार नीतियों के कारण, बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को देश में बुलाने की नीति के कारण, विश्व बैंक और विश्व मुद्रा कोष तथा डब्लू.टी.ओ. की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होने के कारण प्रभावित हैं । अभी श्रीमन् आपने देखा कि 714 चीजों पर से आयात प्रतिबंध हटा दिया गया है । अब ऐसी चीजें 1773 हो गई हैं जिन पर से आयात प्रतिबंध हटा दिया गया । मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इन 1773 चीजों में 65 फीसदी चीजें उपभोग की हैं, उपभोक्ताओं के लिए हैं । आज हमारा देश उपभोक्तावाद के चलते भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आपके 15 मिनट हो गए हैं । 2.30 पर आपने प्रारंभ किया था ।

श्री रमा शंकर कौशिक : मैं जल्दी खत्म करूंगा ।

उपभोक्तावाद के चलते विदेशी कंपनियों का हमारे यहां अच्छा मार्केट है । हमारे यहां 25 करोड़ के करीब मिडिल क्लास के लोग हैं और उपभोक्तावाद के चलते उनका आचरण यह हो गया है कि किसी भी प्रकार से पैसा कमाओ और उस पैसे को खर्च करो। बढ़िया टी.वी. खरीदो, नया टी.वी. बदलो, कारें खरीदो । ये 25 करोड़ मैंने जो बताए इनमें भी श्रेणियां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी । लेकिन इन सब की मानसिकता एक ही है । मैं मिडिल क्लास की बुराई नहीं कर रहा हूं । मिडिल क्लास में ही क्रांतिकारी पैदा हुए हैं लेकिन आज उनको फुरसत नहीं है। रोटी कमाने से, रोजगार ढूंढने से उनको फुरसत नहीं है। बड़े लोगों को क्रांति की आवश्यकता नहीं है । मिडिल क्लास ने ही क्रांतिकारी पैदा किए हैं । लेकिन अपने देश के मिडिल क्लास को उपभोक्तावाद ने फांस दिया है । आज देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गया है । चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है । चाहे सरकारी स्तर पर हो चाहे व्यापार स्तर पर हो भ्रष्टाचार व्याप्त है और गलत ढंग से पैसा कमाने और उस पैसे को खर्च करने की प्रवृति जोर पकड़ गई है । सरकार इसके लिए उन्हें उत्प्रेरित भी कर रही है । ऐसी ऐसी चीजें आयात करके जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं नहीं हैं, जो उपभोग के लिए हैं उनको बढ़ावा दे रही है । यह सरकारी जवाब है कि 65 प्रतिशत,

लेकिन मैं जानता हूं कि यह 75 फीसदी है । सरकार यह भी कहती है कि इनमें से सारी चीजें, जैसे सैल्यूलर फोन या जो इस प्रकार की चीजें जो नई तकनीक की आई हैं उनको छोड़कर बाकी सब चीजें हमारे देश में पैदा होती हैं। सरकार की नीतियों का नतीजा यह हो रहा है कि 850 चीजें जो लघु उद्योगों के लिए छोड़ी गई थी उन 850 चीजों पर भी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा होता चला जा रहा है । नतीजे में हमारे यहां जो 14 लाख 7 हजार लघु इकाइयां थीं उनमें तीन लाख इकाइयां बंद हो चुकी हैं । इनमें दस करोड़ सत्तर लाख लोग कार्य-रत थे जो बेकार हो रहे हैं । श्रीमन्, हमारी जो लघु इकाइयां हैं उनमें तीन लाख तो बंद हो चुकी हैं और बाकी 11 लाख जो बची हैं उनमें भी काम धीरे-धीरे हो रहा है । यह सरकार की नीति चल रही है । इस नीति के तहत बहु-राष्ट्रीय कंपनियां यहां क्या लेकर आ रही हैं जिसके लिए 400 करोड़ रुपया रायल्टी हम तकनीक के लिए देते हैं । वह तकनीक कौन सी है ? केले की चटनी बनाने की तकनीक कि केले की चटनी कैसे बनती है, इस तरह की तकनीक हमारे देश में आ रही है । ऐसी बहुत सी तकनीक आई हैं, साबुन के लिए आई है और इस तकनीक के लिए हम 400 करोड़ रुपया रायल्टी उनको दे रहे हैं । लेकिन यह तकनीक क्या हमारे लिए आवश्यक है ? यह तो हमारे लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं । बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक और धंधा करती हैं । हमारे यहां की कंपनियों के साथ वह फ्रेंचाइज़ एग्रीमेंट करती हैं, सब-कंट्रेक्ट करती हैं और नतीजा यह होता है कि यह कंपनियां मालिक रहती हैं, उनकी मोहर लग जाती है, सामान हमारे यहां की कंपनियां बनाती हैं और हमारे लोग बनाते हैं, पैसा वह अपना लगाते हैं और जो मुनाफा होता है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश में ले जाती हैं। बाटा कम्पनी यही काम करती है । कानपुर और आगरा के लोगों से जूते बनवाती है, जो मजदूरी होती है उसका पैसा उन्हें देती है और अपनी मोहर लगाती है । और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें फ्रेंचाइज़ का सिस्टम है ।..(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप समाप्त कीजिये। I will call the next speaker please. (**व्यवधान**) आपकी पार्टी के 10 मिनट थे । आपके पहले वक्ता ने 25 मिनट ले लिये और आपने भी 22 मिनट ले लिये हैं।

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, किसानों के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं । किसान की स्थिति बदतर होती जा रही है पेटेंट कानूनों के ज़रिये से, सब्सिडी घटाने से खराब हो रही है । सब्सिडी इन्होंने घटाई है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमरीका में या दूसरे देशों में 30 से 70 फीसदी तक सब्सिडी किसानी पर दी जाती है । उनसे आयात करने के लिए हम तैयार हैं । हम आटा आयात कर रहे हैं । अभी जो 714 चीज़ों से आपने प्रतिबंध हटाया है, उसमें आटा भी शामिल है । किसान की

हैसियत क्या होगी ? चीनी के बारे में यही हुआ तो गन्ने की हैसियत क्या होगी, गेहूं की हैसियत क्या होगी, श्रीमन्, जब मैं दो तीन बातें बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा । हमारे यहां किसानी के पैसे, अनाज के पैसे तय किये जाते हैं । उसके लिए एक कमीशन बना हुआ है और उस कमीशन में किसान की मजदूरी प्रतिदिन केवल 17 रुपये लगाई जाती है । आप कल्पना कीजिये 17 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी हमारे किसान की रहती है जब कीमतें तय होती हैं कमीशन के सामने । हमारे किसानों की हालत इस तरह से खराब हो रही है । किसानी घट रही है । यह बात सही है कि हमारे सकल घरेलु उत्पाद में जो हमारी कृषि का हिस्सा 50 फीसदी और 60 फीसदी होता था वह अब 20 फीसदी के करीब रह गया है । इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्य रोज़गारों में तरक्की कर रहे हैं । 70 फीसदी लोग किसानी करते हैं और उनका सकल घरेलु उत्पाद में केवल 20 प्रतिशत हिस्सा रहता है । देश कहां जा रहा है ? गरीब कहां जा रहा है ? इसकी कल्पना कीजिये । इन शब्दों के साथ जो कृतज्ञता प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसमें मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उन संशोधनों को शामिल करने के लिए मैं निवेदन करता हूं ताकि जो ज्वलंत समस्याएं हैं, ज्वलंत बातें हैं, वह देश के सामने आ सकें और अभिभाषण में वह शामिल हो सकें । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Smt. Jayanthi Natarajan; she is not here. Shri Nana Deshmukh; he is not here. Dr. (Smt.) Joyasree Goswami is also not present. Shri Suryabhan Patil.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अपने मुझे अभिभाषण पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में अनेक मूलभूत मौलिक विचार व्यक्त किये हैं । सभी के बारे में बोलने का समय नहीं है। इसलिए केवल पांच बिंदुओं पर चंद शब्दों में अपने विचार व्यक्त कर के मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । यह पांच मुद्दे हैं सभी के साथ संवाद, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल एजेंडा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्युरिटी, संविधान समीक्षा आयोग और नेशनल इंटीग्रेशन । इन पांच बिंदुओं पर मैं भाषण करना चाहता हूं । सभी के साथ संवाद । एक फिलास्फर ने कहा है "Discussion is the life of democracy" चर्चा, संवाद, विचार-विनिमय, यह लोकशाही का एक महत्वपूर्ण अंग है । इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्टी के अन्दर और पार्टी के बाहर राजनीतिक क्षेत्र में सभी के साथ संवाद कर के अपने देश का कारोबार हम चलाएंगे, इस दृष्टि से विचार व्यक्त किया है । आप देख रहे हैं कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी कई मित्रों के साथ चर्चा करके माननीय प्रधान मंत्री जी ने

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया। इसमें 18 पक्ष आ गए हैं और सभी ने एक कामन प्रोग्राम बनाया है। इस दृष्टि से जो यह सरकार चल रही है यह आप देख रहे हैं। सभी के साथ संवाद - इस दृष्टि से देखा जाए तो अपना पड़ोसी जो पाकिस्तान है उसके साथ लाहोर बस यात्रा का आयोजन किया गया। अणु शस्त्र यानी सीटीबीटी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि पूरा विश्व अणुशस्त्र मुक्त होना चाहिए । ऐसी उन्होंने बात की है और यूएनओ में वह कहने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है। अमेरिका के प्रेजीडेंट क्लिंटन भारत में आए। पांच दिन वे रहे। यहां की सब चर्चाएं उन्होंने जान लीं। पाकिस्तान में गए। पांच घंटे वहां रहे और पांच घंटे के परव्यू में जो कुछ बात हुई उसमें से यह निकला कि जो लाइन आफ कंट्रोल है उसका आप सम्मान कीजिए। आंतकवाद, घूसखोरी बंद कीजिए। शान्ति का माहौल बनाइए। भारत के साथ आप फिर से संवाद शुरू कीजिए। इस दृष्टि से संवाद का महत्व है। माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संवाद के माध्यम से सभी को साथ लेकर चलने का जो प्रयास कर रहे हैं वह आपके सामने हैं।

दूसरी चीज, नेशनल एजेंडा है। आज तक 50 वर्षों में चुनाव की दृष्टि से गठबंधन, मोर्चा या जो अगाड़ी बनकर उभरे वे चुनाव के बाद आए। चुनाव के पहले एक कामन प्रोग्राम बनाकर सभी के साथ चलने का प्रयास कभी नहीं हुआ और हुआ होगा तो एक्सेप्शन की दृष्टि से होगा। इस दृष्टि से वाजपेयी जी ने चुनाव के पहले सहमति की राजनीति को बल देने के लिए और नकारात्मक भूमिका छोड़कर सकारात्मक राजनीति का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमेशा, यह नहीं चाहिए, वह नहीं चाहिए, ऐसी नकारात्मक भूमिकाएं छोड़कर सकारात्मक भूमिका लेकर - किस मुद्दे पर हम एक हो सकते हैं, किस मुद्दे पर हम देश को बढ़ावा दे सकते हैं, किस दृष्टि से हम देश को एक दिशा में ले जा सकते हैं - ऐसा मानकर, एक पाजिटिव रोल लेकर अपनी सरकार चला रहे हैं। यह आपके सामने है।

तीसरी चीज नेशनल सिक्योरिटी है। पिछले 50 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हमारी बहुत मानहानि हुई है। क्या क्या हुआ? वन थर्ड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में गया। 50 वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में घूसखोरी, आतंकवाद व आक्रमण सब चल रहे हैं इसके कारण से हजारों लोग मारे गए हैं। मानव हानि हुई, वित्त हानि हुई, आतंकवाद और घूसखोरी का सिलसिला चलता रहा और करोड़ों की सम्पत्ति लुट गयी, लाखों निर्वासित हो गए, महिलाओं पर बलात्कार हुए। इसका कारण यह है कि सभी का भारत के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण था वह यह था कि भारत एक वीक यानी कमजोर देश है। वह क्या कर सकता है, क्या करेगा? इस दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, चुनाव के पहले जो प्रोग्राम बनाया गया जो नेशनल एजेंडा बना उसमें पहले देश की सुरक्षा के लिए

प्रावधान दिया गया और इसके अनुसार 19 मार्च 1998 में एन.डी.ए. सरकार बनने के बाद जो पहले कांग्रेस के शासन में 53 वर्ष में चीज नहीं हुई थी वह चीज हुई यानी 11 और 13 मई 1999 को पोखरण में पांच अणु विस्फोट किए गए। इसके कारण भारत की प्रतिमा एक महाशक्तिशाली देश के नाते से पूरे विश्व में देखने को मिल रही है यह आप समझ सकते हैं। दूसरे संविधान समीक्षा के बारे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सारी चीज़ खुली है। जो नेशनल एजेंडा बना है उसमें खुलकर संविधान की समीक्षा हम करने जा रहे हैं । अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत एक अणुशक्ति सम्पन्न देश के रूप में काम करेगा, यह कहा है । संविधान की समीक्षा कोई छिपी बात नहीं है । बार-बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी और भारतीय जनता पार्टी तथा मित्र पक्ष की ओर से कहा गया है कि संविधान में जो मूल हेतु है, जो मूलभूत बात है, उसकी कोई समीक्षा करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन 50 वर्षों में संविधान में चुनाव की दृष्टि से जो कुछ कमी आई है, उसके लिए यह आवश्यक हो गया है । संविधान के बारे में जब डा. बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर आप कर रहे थे और उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : पाटील जी, आप समाप्त करें ।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे : आरक्षण का जो प्रावधान है उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसके लिए संविधान में सुधार करने की जरूरत है और यह भारत सरकार करने जा रही है । इसलिए देखने का जो तरीका है वह पाज़िटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए और राष्ट्रपति जी ने कई चीज़ें इसमें उद्धृत की हैं, इनका भी ख्याल रखना चाहिए ।

महोदय, एक चीज़ का उल्लेख करके मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं । 50 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक असन्तुलन रोकने का प्रयास हुआ है । संतुलन खोने के कारण से प्रांतीयता को बढ़ावा मिला । एक प्रकार से राष्ट्रीय प्रवाह के बाहर जाकर चलने का मानस था । उसको रोकने का प्रामाणिक प्रयास प्रधान मंत्री जी की ओर से हुआ है । सामंजस्य, समन्वय, संपर्क की प्रक्रिया गतिमान करके एक राष्ट्रीय सद्भाव, राष्ट्रीय मानस बनाने का एक मूलभूत, मौलिक और राष्ट्रीय काम का प्रयास हुआ है ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण किया है, उसका समर्थन करके और आभार व्यक्त करके मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं ।

3.00P.M

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) : Dr. P. Selvie Das. The hon. Member is absent.

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address moved by Shri M. Venkaiah Naidu, but I do not agree at all with the points made by him while moving the motion.

Many hon. Members have put forward their views on the question of reviewing the Constitution and setting up of the Constitution Review Committee. In this connection I would like to say that the Indian Constitution is a good Constitution. As a trade union leader, I would like to say that we have got as many as 147 Acts and Rules. Even many of the developed countries do not have such a large number of Acts and Rules. But, the problem is that we do not have the will to implement those Acts and Rules in right earnest. Therefore, I would say that instead of reviewing the Constitution, let us review the decisions and administration of policies of the Government. We should see whether we have been giving to the people the rights and benefits that the Constitution has envisaged. If you are not able to give that privilege to the people of India, I do not think we have the right to review anything that is contained in the Constitution.

I come to my second point. Hon. Minister, Shri George Fernandes is here. He was the Chairman of the Apex Committee set up to deal with the problems created by the Orissa Cyclone. There was a demand made by all the political parties of the country to Shri George Fernandes and to the Prime Minister that the Orissa cyclone should be declared as a national calamity of rare severity. The Prime Minister and the Defence Minister, Mr. George Fernandes, said, "No, we cannot declare it because there is no provision in the Famine Code, there is no provision in the Relief Code." Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to put a question to the Government. About 25 lakh houses have been damaged, 10,000 people were killed, 1.5 million people were affected by the cyclone in 120 blocks, 12 districts. The whole country, the whole State, all political parties demanded that this cyclone should be declared as a national calamity of rare severity. They did not declare it. They did not amend the Famine Code. They did not amend the Relief Code. In spite of the distress situation, they could not amend the famine code, they could not amend the relief code. It was not a statute. It doesn't require a two-thirds majority in both Houses to amend it. We could have done it. Just

through a Resolution of the Government, it could have been amended.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to point out one thing. In the course of the discussion, Mr. Sanatan Bisi, who is a Member of this House, had put a question to the Finance Minister, "Would the Government recommend to the Finance Minister to consider amending the Relief Code and Famine Code for declaring the super-cyclone which hit the State of Orissa as a national calamity of rare severity?" Unfortunately, the Finance Minister said, "We cannot do it." This was the attitude of the Government. For providing relief to the cyclone-affected people of Orissa and the people affected in other parts of the country, if the Government did not agree to amend the Famine Code, the Relief Code, then, does this Government has the right to amend the Constitution? I think, this Government has no right to amend the Constitution.

Sir, I am coming to the point of the Second Labour Commission. Our labour leader is here, he can also enlighten us. The Government has constituted the Second Labour Commission. If the Government was so serious in constituting the Second Labour Commission, it took them around one year to finalise the points of reference and announce its members. One Government constituted it. Then, another Government came and finalised the terms of reference. If this Government is very serious about the labour population who constitute one-third of the total population, that is, 410 million, what have they done for them? The hon. Prime Minister has constituted an Advisory Committee. In view of the liberalisation policy, in view of the open market situation, who are the advisers? Only industrialists are the advisers. Couldn't you get a single labour leader, a single workers' leader to nominate him to the Advisory Committee? Even Mr. George Fernandes is a labour leader. Couldn't he advise the Prime Minister to nominate a labour leader to the Advisory Committee? Some Minister is there; but not as a labour leader. The industrialists who are the advisers, do they believe labourers or any labour leader? Who are investing in the Government's Budget? One-fourth of the Government's Budget comes from the working class. The Government employees are investing the highest amount of money in our country. But while discussing about other things, we ignore them. It is very sad. For whom, the Government is doing all these things? We have heard from all the speakers that the subsidy on fertilizer should not be reduced. But they are not listening. This shows their attitude. They are not working for the interest of the farmers. The Government is not interested in the working class who constitute one-third of the total

population. First of all, for whose interest the Government is working? Now, our brother, Mr. Kaushik had asked, after reducing the import duty on 1400 items, what would be the position of the indigenous industries? Already, our indigenous industries are in a very, very bad position. Previously, we were thinking that the NDA Government was working for the industrialists, for the businessmen. But that is also not correct.

They are also not for them. Then, for whom, for which interest, is the Government working? It is not for the workers, not for the farmers, not for the businessmen, not for the students, not for the youth and general public. They are interested in themselves. They are working for those who have helped them to come to power in such a situation.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to mention here one thing about the agricultural workers. As you know, the ruling alliance have said, in their election manifesto, that they will bring a comprehensive labour legislation for agricultural workers. Many Governments had assured so. The previous Government also declared that they would bring a comprehensive labour legislation for agriculture workers which will cover provident fund, ESI, pension, gratuity and other things. But, in this situation, they have said very tactfully, while constituting the Second Labour Commission, that they will bring a legislation to cover in the safety-net all workers, which will also include agricultural workers. That means, when the Government was thinking of bringing a comprehensive labour legislation for agricultural workers, probably, being pressurized by a group or section of people, now, they have decided not to bring it but to refer it to the Second Labour Commission. As you know, Sir, the Commission will take a lot of time to give a report and the Commission's report is not mandatory. So, ultimately, we think that the comprehensive labour legislation, which was supposed to come to Parliament in this Session, may not come at all.

My next point is about two Acts. One is the Building and Construction Workers (Welfare Cess) Act and the other, the Building and Construction Workers (Service Conditions) Act, 1996. It was declared in the shape of an Ordinance in the year 1995 and passed in Parliament in 1997 and the rules were framed and laid in Parliament in 1998. But these two Acts have not been implemented till today. The construction workers are the most exploited class. The Acts have been passed earlier. In spite of the various recommendations of the Standing Committee on Labour, the

recommendations of the Tripartite Standing Committee of the Government, the recommendations of the Joint Consultative Committee for Labour, this Government is not taking any appropriate action for the implementation of these two Acts and for bringing in a comprehensive labour legislation for agricultural workers.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I want to mention one thing here. This Government has given a guideline, from the DPE, the Department of Public Enterprises, to sign a settlement for 10 years. Everybody knows that nowhere in the country, nowhere outside the country, nowhere in the world, even in those countries which are persuading for the WTO or liberalization, in no country, is there any collective bargaining agreement for more than five years; not for 10 years anywhere. This Government has given a guideline to sign in a settlement for 10 years. As you know, there would be around 18 lakhs of public sector workers in the whole of the country. Their agreement was due on 1.1.1997. Three years have passed. Negotiations are going on. The agreement could not be signed because the Government guideline is there. I want to put a question to the Government. The Government says, "We want to give a free hand to the public sector. We do not want to keep any guideline or control in the public sector because they are incurring losses and they should be given a free hand." With that intention, the Government also declared the Nava Ratnas. The Nava Ratnas will be guided by this guideline. I want to know whether the Government is really interested to give a free hand to the public sector. Some days back, there was a news item in papers about a contract of the NTPC. It came in newspapers that the Ministry was directly intervening for awarding the contract to some persons. That is the free hand given to the public sector! I want to submit before you, Sir, that around Rs.1800 crores are involved. Many of the public sector units, sick units, have not given their employees, their salary and pension dues and they have not deposited provident fund and ESI amounts. This has been discussed in the House many times.

After a demand was raised, the Prime Minister, for eye-wash, has constituted a Group of Ministers. Sir, when we are asking about anything in the Consultative Committee, in the Department-related Standing Committee or in the Tripartite Committee, they simply say that the Prime Minister has constituted a Committee. The Committee was constituted in the month of January 2000. The assignment has been accepted. But a Group of Ministers, constituted by the Prime Minister, has not had its first meeting. Could you

believe it? I am sorry to say that seven, eight days before, when we put a question to the Labour Standing Committee in this regard on behalf of Government they informed us that since the Committee could not meet, no discussion had taken place till that day. It is really a matter of shame. I want to mention one thing. A very serious situation is going to arise in our country. In our country, we have agricultural workers, forest workers, construction workers, contract labour and migrant labourers. All of them are unskilled workers. On the one hand, we are opening up our various sectors to the outsiders. On the other, we are also effecting modernisation in our technology. What will be the situation? We have 410 million labourers in this country. Out of them, 350 million labourers are unskilled agricultural workers, construction workers and forest workers, who do not have any set service conditions, who do not have any guarantee of employment, who do not have the facility of provident fund, gratuity and ESI, who do not get 100 days employment a year. Now, we are accepting the modern technology. What will they do? In the construction field, the tribal women used to take the headload. Now, in many spheres, modern technology is being introduced as a result of which we are doing more work with less number of people. What would be their fate if we keep modernising our infrastructure? No employment opportunities would be there for these people. Majority of these people would become unemployed. What would be the fate of those workers, who are not in lakhs, but in crores, and who are working throughout the length and breadth of the country in forests, who are working as contract labourers, agricultural labourers and migrant labourers? I request the Government that while thinking about creating new employment opportunities, while thinking about opening the market economy, while thinking about modern technology, we must think about our own human resource about which we all feel proud. We are the second largest country of the world in terms of population. We talk of development in the field of science and technology. For whom are all these things meant? Is it not for the people? Is it for the leaders? Is it for the chair? All these things are meant for human civilisation and if the human civilisation is neglected, if the human resources are neglected, if the workers are neglected, nobody will excuse us. I once again request the Government not to neglect the one-third workforce of our country. I want to make one point about my State of Orissa where the people are suffering. Shri George Fernandes is present in the House. When the Congress Government was there in the State of Orissa, the

Government of India constituted a Task Force, and Mr. George Fernandes was made the Chairman. I would like to know as to what the Task Force is doing. Has the Task Force surveyed the loss and damage in Orissa? Has the Task Force done anything? At the moment, the Government of the party supported by the BJP is there in the State of Orissa. I would like to know as to what the Task Force is doing. Has the Chairman of the Task Force visited Orissa after their Government came to power in the State of Orissa? Has the Chairman of the Task Force assessed the damage caused to the State of Orissa? Is the Chairman of the Task Force aware of the fact that the Indira Awas Yojana could not be completed, the river embankments could not be repaired, the roads could not be repaired? I want a specific answer from the Chairman of the Task Foree about these questions. I want to know whether he is really interested to alleviate the sufferings of the people of Orissa, and that is why, he has been made the Chairman or whether the Prime Minister has made him the Chairman to intervene in the affairs of the State Government of Orissa. When the Congress party Government was there, he was entrusted the task of creating problems in Orissa in order to bring a Government, supported by his party, which ultimately has come to power in the State of Orissa. Thank you.

श्री आर. एन. आर्य (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के एड्रेस पर आज सदन विचार कर रहा है। मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। 49 पैराग्राफों में 50 साल की झलक देने की कोशिश की गई है। भारत की तमाम आगामी और गत प्रगति को रखा गया है। लेकिन बड़ा निराश किया है यहां के उस समाज को जो आज मैला ढोता है, आज भेड़-बकरी चराता है, आज भी उनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हैं। आंकड़ों के रूप में प्रगति आंकी जाती है। लेकिन अगर वे आंकड़े देखे जाएं तो कहां से आते हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक मिल करके बहुजन बनता है, उसकी घोर उपेक्षा हुई है। हम जानते हैं कि जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब भारत के चिंतक चाणक्य ने भी अपने शब्दों में कहा था :

'बहुजन विरुद्धमेकम एव नानुवर्तेत'(432वां श्लोक)

बहुजन के विरोध में किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया में सेक्यूलर पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। एक बार गलती हुई पछताना पड़ रहा है। जिस वक्त 'गोल्डन टेम्पिल' पर

उन्होंने कोशिश की थी उस गलती को वह आज तक भी नहीं धो पाए। उसके बाद दूसरी गलती हुई, यहां की मस्जिद ढा दी गई, बहुत बड़ी गलती हुई लेकिन चिंतन नहीं हुआ। तीसरी गलती फिर हो रही है संविधान ढाने की। इस ब्लंडर के ऊपर हमको चर्चा करनी पड़ेगी। हम 'डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक, सेक्यूलर, सॉवरन रिपब्लिक' की बात करते हैं। हमें याद है कि जब बिल क्लिंटन बोल रहे थे तो सॉवेरनिटी पर भी हमला हुआ था। जॉर्ज साहब यहां हाऊस में हैं उनको कहना पड़ा था कि पाकिस्तानी सेनाएं नहीं हटी थी बल्कि हमारे जवानों ने हटाया था। उनको कहना पड़ा क्योंकि बिल क्लिंटन साहब बोल रहे थे, हमको सुनना पड़ रहा था। हम विश्व व्यापार के रूप में, विश्व समाज के रूप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां की न्यायपालिका के रूप में हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, भारी अन्याय हो रहा है। अनुसूचित जाति के लिए जहां संविधान में आरक्षण व्यवस्था की थी। आरक्षण कोई हिस्सेदारी नहीं है, एक संवेदनशीलता के साथ पार्टिसिपेशन का उनका राइट था। लेकिन उस पर यहां 1997 में चार गवर्नमेंट मेमोरेंडम आए और उसके बाद 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी तकनीकी शिक्षा में, उच्च शिक्षा में जाने के लिए उसके ऊपर अपनी विरोधी टिप्पणी की। आज तक वह विधेयक लाने की कोशिश नही हो रही है। हमारे पूर्वजों की मानसिकता और आज की मानसिकता में कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। 29 अप्रेल, 1947 में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर बहुत दुखी बैठे थे। संविधान सभा चल रही थी और संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन होने जा रहा था। उस वक्त बाबा साहेब डा. अम्बेडकर बड़े मायूस थे लेकिन सरदार पटेल ने उनसे पूछा कि क्या बात है? उन्होंने कहा कि हमें दुख है, हम यहां अछूत हैं, हम अछूतपना नहीं मिटा पा रहे हैं, अछूतपन मिटाना चाहिए। खुशी की बात है कि उस वक्त सरदार पटेल ने पहला प्रस्ताव संविधान की उस तीसरी सभा में रखा कि अन-टचेबिलिटी एनिहिलेट होगी, इसका विध्वंस होगा, पहला मेरा प्रस्ताव यही है। न्यूयार्क टाईम्स ने उस वक्त कहा था कि यह नीग्रो मुक्ति के समान संदेश है। न्यूयार्क हैराल्ड ने कहा था कि यह विश्व युद्ध के बाद प्रथम उज्जवल किरण है और वहां इंग्लेंड में 'क्रोनिकल न्यूज' थी, उसने कहा था कि यह इतिहास है, सर्वोच्च चिंतन का विषय प्रस्तुत किया है भारत में। लेकिन आज उन्हीं दलित, पिछड़ों को सताया जा रहा है, उनके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। कितना परसेंट किसमें लग रहा है इसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर रहा है। पिछड़ों के लिए कोई चिंतन नहीं है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने बड़े दुख के साथ कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को इस देश को एक दस्तावेज, जिसको हम संविधान कहते हैं, हम पेश करेंगे। यह दस्तावेज जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का होगा। लेकिन इसके साथ ही मेरी एक वार्निंग

है कि 26 जनवरी, 1950 से हम विरोधाभास की जिंदगी में प्रवेश करेंगे। मूल सिद्धान्तों में सबको समानता का अधिकार है। लेकिन जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गैर-बराबरी है, उसको हम दूर करेंगे, राजनीतिक गैर-बराबरी को हम खत्म करेंगे। one man, one vote and one vote, one value स्थापित हो जाएगी। लेकिन एक आदमी की एक कीमत स्थापित नहीं होगी। इसमें एक आदमी की एक कीमत को स्थापित करने के लिए संविधान को चलाने वाले लोगों की ड्यूटी है कि वह चिंतन करें कि सोशियो, इकोनोमिक चेंज इस भारत में होना चाहिए और 'सोशियो, इकोनोमिक चेंज' को करने में अगर हम फेल हो गए तो लोग संविधान को दोषी कहेंगे। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से इस संविधान को बनाया है। कहीं ऐसा न हो कि इस संविधान को लोग अविश्वसनीय मानकर इसको हवा में उड़ा दें। हमें जो 'सोशियो, इकोनोमिक चेंज' के बारे में चिंतन करना चाहिए था वह नहीं किया गया है। आज हम देखते हैं कि न्याय की क्या स्थिति है? हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट भी संवेदनशील नहीं है। हम कहते हैं कि 13 विधायक बहुजन समाज पार्टी के आज भी निर्णय के लिए इंतजार कर रहे हैं। सारे निर्णय हो रहे हैं, लेकिन उनके मामले का निर्णय नहीं हो पा रहा है क्यों कि उनके प्रति वही मानसिकता है, वही स्थिति है। आरक्षण नीति को समाज के अंदर जनसंख्या के अनुसार तय किया जाना चाहिए। हर समाज की भागीदारी के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे हमारी उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो। जब तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक लोगों को जाने ही नहीं दिया जाएगा तो उन्हें कैसा पता चलेगा कि रिसर्च प्रोग्रेस क्या है? आप कहां जा रहे हैं? आप सेटेलाइट में कहां जा रहे हैं? आप कम्प्युटर के युग में कहां जा रहे हैं? आपका रोजगार के बारे में भी कोई चिन्तन नहीं है। भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। भारत के नौजवानों के हाथों को काम नहीं मिल रहा है। कम्प्युटर का उपयोग बढ़ रहा है, नवयुवकों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। जो लोग ओवरएज हो जाते हैं उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। आपने संविधान समीक्षा के विषय को इसलिए उठाया है क्योंकि आप देश की ज्वलन्त समस्याओं से मुंह मोड़ना चाहते हैं। इस देश में आतंकवाद फैला है, इस देश में पृथकतावाद फैला है, इस देश में जातिवाद फैला है और दूसरी तरफ आप संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। 18-20 दल मिलकर के इस प्रकार की बात सोच रहे हैं। संसद में कोई भी दल पूरी मेजोरिटी के लेवल पर आने की पोजीशन में नहीं है। व्यक्ति-व्यक्ति का चिंतन पृथक हो रहा है। हम चाहते हैं कि संविधान की समीक्षा करने का प्रयास न किया जाए। संविधान में अमेंडमेंट करने की व्यवस्था है वह काफी है। मैं डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्द यहां पर कहना चाहता हूं। डा0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने

बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि आप स्पेसिफिक उन्नति के बारे में, आप यहां के न्युक्लियर के बारे में, आप यहां के भूतल के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक संदेश है कि "समुन्दर में आप मछलियों की तरह तैरना सीख चुके हैं और चिड़ियों की *तरह आसमान में उड़ना सीख चुके हैं परन्तु इन्सान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे* हैं।" वह मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : श्री राम नाथ कोविन्द । आप जरा संक्षेप में बोलिएगा ।

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का सर्वथा पालन करूंगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर वेंकैया नायडु जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ तथ्यों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उपसभाध्यक्ष महोदय, योजना आयोग के वर्ष 1951 के आंकड़े अगर हम उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि इस देश की कुल जनसंख्या का करीब 40 प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे था । 50 वर्ष बीत गये । पचास वर्षों में इन गरीबों के ऊपर, जिनकी अधिकांश संख्या दलितों, वंचितों और पिछड़ों की थी, उन पर हजारों करोड़ रुपए केन्द्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकारों के माध्यम से खर्च हुए लेकिन वर्ष 1999 और 2000 के अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत मूलतः 40 प्रतिशत के करीब ही है । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात को इस संदर्भ में प्रेषित किया है कि हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उस संविधान की प्रस्तावना में जो पहला क्लॉज़ है, उसमें दिया गया है - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय । उपसभाध्यक्ष महोदय, इन पचास वर्षों में हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी गरीबी रेखा के नीचे का जीवनयापन करने वालों का जो जीवन स्तर था, उसमें कोई मूल-चूल परिविर्तन नहीं आया है । यह बाबा साहब का निर्मित किया हुआ संविधान, जिनका सपना था कि सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिले, वह भी पूरा नहीं हुआ । आज जो संविधान समीक्षा की बात की जा रही है, उस पर हमारे कांग्रेस के मित्र और अन्य प्रतिपक्ष दल के लोग बहुत कुछ बातें कहकर इस देश की जनता को गुमराह करने में लगे हैं । मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का एक उदाहरण देना चाहता हूं जिससे हम सब परिचित हैं । वह कहा करते थे कि इस शासनतंत्र में केन्द्र से एक रुपया जाता है लेकिन नीचे पहुंचते-पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाते हैं और 85 पैसे बीच में कहां जाते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है । यह उदाहरण मैंने केवल इसलिए दिया कि आज यदि स्वर्गीय राजीव गांधी जिंदा होते तो मुझे लगता है कि शायद वह भी इस पक्ष में होते

कि संविधान की समीक्षा हो और शायद उन्होंने इस बात को उद्धृत करके एक संकेत भी दिया था कि इस देश की शासन प्रणाली की समीक्षा अवश्य होनी चाहिए ।

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश) : पैसा कहां जाता है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए । ...(**व्यवधान**)...

श्री राम नाथ कोविन्द : वह शासन प्रणाली है । इन पचास वर्षों में जो शासन में रहे, विशेष रूप से 45 वर्ष तक हमारे कांग्रेस के मित्र शासन में रहे और जो पैसा नीचे तक नहीं पहुंचा, जो दोषयुक्त अथवा भ्रष्टाचार युक्त शासन प्रणाली रही, उसकी समीक्षा के लिए वह भी इसके पक्षधर थे । ..(**व्यवधान**).. वर्ष 1949 में कॉन्स्टीट्यूएंट असैम्बली की जब बैठक हो रही थी तो उस समय भी डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं अपने शब्दों में कहा था कि "इस संविधान की प्रस्तावना, इस संविधान के लक्ष्य को पाने के लिए यदि हमें संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक हो तो वह अवश्य करना चाहिए ।" उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा । मैं आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहा हूं। मेरा मानना है कि संविधान समीक्षा से लेकिन हमारे कांग्रेस मित्रों को और अन्य प्रतिपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि शायद उनकी कार्यशैली की समीक्षा होगी और इसीलिए उनको कुछ ज्यादा ही चिंता है । हम सब लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं । मूलतः जो बाबा साहेब अम्बेडकर का आदर्श था, उसको पूरा करने के लिए जो भी आगे आएगा, वह बाबा साहेब का सम्मान करेगा न कि अपमान । महोदय, वर्ष 1954 में नेहरू जी की अध्यक्षता में ए.आई.सी.सी. ने एक समिति का निर्माण किया था संविधान समीक्षा के लिए और वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति बनी थी । इन बातों को मैंने मात्र इसलिए उद्धृत किया कि यदि जो सत्ता में अभी तक रहे हैं, वे समीक्षा की बात करें तो ठीक है लेकिन यदि हम समीक्षा की बात करें और वह देश के भले के लिए करें, गरीबों की भलाई के लिए करें तो वह बुरी है । इसके लिए एक शायर ने भी कहा है -

"वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती है,

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ।"

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी बहस समाप्त की जाती है। प्रधान मंत्री जी इस विषय पर कल उत्तर देंगे।

अब सूखे व अकाल पर हुई अल्पकालिक चर्चा पर ग्रामीण विकास मंत्री जी उत्तर देंगे । .....(व्यवधान)....

DR. (MS.) P. SELVIE DAS (Nominated): Sir, my name is there in the list.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): I called your name. But you were not there.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: My name is there in the list.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Your name is very much there. But when I called your name, you were not there.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: Kindly give me an opportunity to speak.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI SURESH PACHOURI): I have called the Minister.

SHORT DURATION DISCUSSION

Drought and famine conditions in various parts of country, particularly in Gujarat and Rajasthan - Contd.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सूखे पर हुई बहस में भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिए और जिस ज्वलंत समस्या से आज हम जूझ रहे हैं, उस पर हमारा मार्गदर्शन किया ।

श्रीमन्, एक विपत्ति के घावों को सहला कर हम उससे उबरे भी नहीं थे, उड़ीसा की और दूसरी विपत्ति ने हमें आ घेरा । यह जो विपत्ति है, यह किसी की बुलाई हुई नहीं है, किसी की लगाई गई नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं की गई है बल्कि प्रकृति के प्रकोप ने हमें इस विपत्ति में डाला है और इसकी आवश्यकता है कि बाकी सब बातों से नज़र हटा कर, बाकी सब बातों को दरगुज़र करके सारा देश, सभी राजनीतिक पार्टियां और इस सदन के सभी माननीय सदस्य एक मत से, एक आवाज़ से इस विपत्ति का सामना करें । यह वक्त की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है और समय की पुकार है ।

महोदय, जिन राज्यों में सूखे की समस्या है, मैंने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से